कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
तिरहुत नहर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
Email ID : eetcd1muz@gmail.com

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अति–अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 01 / 2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता हैं कि कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर अंतर्गत विभिन्न कार्यो के सम्पादन, योजनाओं एवं नहरों का निरीक्षण एवं उच्चधिकारियों के बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु 02 अदद् ए०सी० / नन ए०सी० वाहन यथा स्कोपिया / बोलेरो (चालक सहित) वित्तीय वर्ष 2026–27 (अवधि 01.05.2026 से 31.03.2027 तक के लिए) में निर्धारित अवधि के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिक / फर्म / आपूर्तिकताओं से मुहरबंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

विवरणी :–

1.	कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :–	दिनांक 08.04.2026
2.	कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :–	दिनांक 24.04.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक।
3.	कोटेशन जमा करने का स्थान :–	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर
4.	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :–	दिनांक 24.04.2026 को अपराह्न 3:30 बजे ।
5.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :–	कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर मो0–9507426446

शर्ते निम्नवत है :–

6. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनवार्य है।.
7. वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।
8. भाड़े पर दिया जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI) से कराकर प्रस्तुत करना होगा।
9. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म / आपूर्तिकताओं द्वारा वहन किया जायेगा। चालक का वेतन का भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक / फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
10. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करो अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक / आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायगा।
11. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र बीमा रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा एवं वाहन चालक के पास अद्यतन वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
12. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक / फर्म का होगा।
13. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह ईधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
14. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन वाहनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेगें।

16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी/पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 06 से 21 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 7,8,10 एवं 11 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 24.04.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशन वाहनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा। स्थानीय (जिला – मुजफ्फरपुर) कोटेशनधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

17. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल इच्छुक वाहन मालिक /फार्म को उपरोक्त दिये गये क्रमांक 6 से 11 तक संबंधित कागजातो की सत्यापित प्रति कें साथ अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) इस कार्यालय को जमा करना अनिवार्य होगा
18. चालक के द्वारा किसी भी तरह के चोरी, दुर्व्यहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।
19. चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा नहीं किया जाना, के लिये विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्ण रूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
20. वाहन का मॉडल वर्ष 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता ,
तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर

पत्रांक–676 /   मुजफ्फरपुर, दिनांक–08/04/2026
प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

8/4/26
कार्यपालक अभियन्ता,
तिरहुत नहर प्रमंडल मुजफ्फरपुर
8/4/26